

पत्र संख्या :- 01स्था(वि0)-84/2023.....451 /

झारखण्ड सरकार
पंचायती राज विभाग
द्वितीय तल,एफ0एफ0पी0 भवन, धुर्वा,राँची-834004
e-mail:- panchayat-jhr@nic.in, panchayat.jhr@gmail.com

प्रेषक,

फुलेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

फैक्स/ई-मेल
अत्यावश्यक /

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक:- 28.2.25

विषय :- सबकी योजना सबका विकास अभियान, 2024-25 अन्तर्गत योजनाओं की पंचायत स्तर में प्रविष्टि के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि झारखण्ड राज्य के ग्राम पंचायतों में अवस्थित पंचायत भवन में डिजिटल पंचायत के स्थापना हेतु डिजिटल पंचायत योजना स्वीकृत है जिसके क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण का दायित्व सामान्य सुविधा केन्द्र योजना (CSC) द्वारा किया जा रहा है।

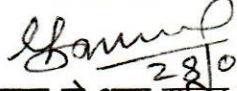
ध्यातव्य है कि सबकी योजना सबका विकास अन्तर्गत GPFT दल एवं VLE का प्रशिक्षण सभी प्रखण्डों में सम्पन्न प्रशिक्षणोंपरांत सभी पंचायतों का PLAN ग्राम सभा द्वारा पारित किया जाना है। ग्राम पंचायत में कार्यरत VLE की सहायता से ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में पंचायत भवन में ही अपलोड सुनिश्चित किये जाने हेतु निदेश समय-समय पर संसूचित किये गये हैं।

कतिपय जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के द्वारा VLE को प्रखण्ड कार्यालय में ग्राम सभा द्वारा पारित योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में प्रखण्ड कार्यालय में आकर अपलोड किये जाने हेतु निदेशित किया जा रहा है जो कि विभागीय निदेशों के प्रतिकूल है। यह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा तथा इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी गठित की जाएगी।

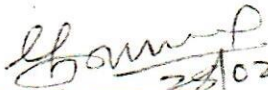
अतः अनुरोध है कि सबकी योजना सबका विकास अभियान, 2024-25 अन्तर्गत पारित योजनाओं को VLE के माध्यम से पंचायत स्तर पर पंचायत भवन में ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल में अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन


28/02/2025
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 01स्था(वि0)-84/2023.....451 /, राँची, दिनांक :- 28.2.25
प्रतिलिपि:- सभी डी0पी0एम0, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


28/02/2025
सरकार के अवर सचिव।